समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य- प्रदेश (ग्वालियर) ।

प्रकरण क्रमांक । २०१४ रिव्यू 2058 - I/14

छोटेलाल पुत्र रामचन्द्र कोल आयु लगभग ६३ वर्ष व्यवसाय -रिटार्ड आर्डीनेन्स फैक्ट्री कर्मचारी, निवासी- लखेरा कटनी तहसील कटनी जिला - कटनी (म०प्र०) --- आवेदक

विरुद्ध

१- मध्य प्रदेश शासन ,

२- विनोद कुमार तिवारी पुत्र श्री जागेश्वर प्रसाद तिवारी आयु लगभग ४४ वर्ष निवासी- इमलिया तहसील - जिला -कटनी म०प्र० --अनावेदकगण

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९

उपर्युक्त आवेदक माननीय न्यायालय के प्रकरण क्रमांक -आर १८६२ आई।१३ पदाकार छोटेलाल विरुद्ध म०प्र० शासन वगैरह में पारित आदेश दिनांक २०-६-२०१३ से व्यथित होकर यह पुनर्विलोकन माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय प्राप्त करने हेतु निम्न तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत करता है ।

— २ —

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2058–एक/2014 जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–11–16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1862–एक/2013 में पारित आदेश दिनांक 20–6–2013 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । अध्यक्ष	